रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

REGISTERED No. D.L.-33002/99

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 88] दिल्ली, सोमवार, जुलाई 7, 2014/आषाढ़ 16, 1936 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 58
No. 88] DELHI, MONDAY, JULY 7, 2014/ASHADHA 16, 1936 [N.C.T.D. No. 58

भाग—IV
PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 7 जुलाई, 2014

फा.सं. आर (212)/टी.ओ. (एस.)/ टी. सी. फेलिंग/14-15/2633-40. —जबकि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र सरकार जनहित में ऐसा करना आवश्यक समझती है,

अतः अब दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1994 (1994 का दिल्ली अधिनियम 11) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, जामिया मिलिया इस्लामिया (केंद्रीय विश्वविद्यालय), नई दिल्ली में जीवन और संपत्ति को खतरे से बचाने के लिए नीचे दिए गए विवरण के अनुसार 1.618 हैक्टेयर लगभग क्षेत्रफल से उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के उपबंधों से इसके द्वारा छूट प्रदान करती है।

क्रम सं.	स्थान	क्षेत्र का विस्तार (हैक्ट0)	हटाए जाने वाले वृक्षों की संख्या	अपेक्षित प्रतिपूरक वृक्षारोपण (वृक्षों की संख्या)
1.	जामिया मिलिया इस्लामिया (केंद्रीय विश्वविद्यालय), नई दिल्ली	1.618 (लगभग)	66	660
		कुल योग	66	660

यह छूट निम्नलिखित शर्तों के अधीन है।

(क) आवेदक को पाँच वर्ष की अवधि के लिए पौधों के संपूर्ण विकास एवं रखरखाव हेतु निम्नानुसार 21,25,200/–रुपये (इक्किस लाख पच्चीस हजार दो सौ रुपये मात्र) की राशि अग्रिम रूप में जमा करवानी होगी।

परियोजना संख्या	लगाए जाने वाले पौधों की संख्या	अन्य प्रशासनिक व्ययों तथा आकस्मिक व्यय सहित कुल राशि	वन प्रभाग में जमा कराई जाए
1.	660	रु. 21,25,200/–	उप–वन संरक्षक (दक्षिणी)

(ख) वन विभाग द्वारा स्वदेशी प्रजातियों के 330 पौधों का निर्माण स्थल के समीप प्रतिपूरक वृक्षारोपण किया जाएगा तथा उनका पाँच वर्षों तक रखरखाव किया जाएगा शेष 600 पौधों का प्रतिपूरक वृक्षारोपण आवेदक द्वारा जामिया मिलिया इस्लामिया (केंद्रीय विश्वविद्यालय), नई दिल्ली में किया जाएगा तथा इसका सफलतापूर्वक स्थापना तक जांच की जा सकती है ।

(ग) उप–वन संरक्षक के परामर्श से वृक्षों को काटे जाने के पश्चात प्राप्त लकड़ी जामिया मिलिया इस्लामिया (केंद्रीय विश्वविद्यालय) द्वारा दिल्ली नगर निगम के संबधित कर्मचारियों को सार्वजनिक शवदाहों में प्रयोग हेतु सौंपी जाए।

(घ) वृक्ष काटे जाने के स्थल से लकड़ी ले जाने से पूर्व उक्त लकड़ियों की ढुलाई के लिए वृक्ष अधिकारी (दक्षिणी) से ढुलाई अनुमति प्राप्त करनी होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

संजीव कुमार, सचिव

DEPARTMENT OF ENVIRONMENT, FORESTS AND WIDLIFE

NOTIFICATION

Delhi, the 7th July, 2014

F. No.R.212/TO(S)/TC-Felling/14-15/2633-40.—Whereas the Government of National Capital Territory of Delhi considers it necessary to do so in the public interest,

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 29 of the Delhi Preservation of Trees Act, 1994 (Delhi Act 11 of 1994), the Government of National Capital Territory of Delhi hereby exempts an area of total 1.618 ha. (approx) as detailed below for posing threat to life and property at Jamia Millia Islamia (Central University), New Delhi, from the provision of Sub-Section (3) of Section 9 of the said Act

Sl. No.	Location	Extent of Area (ha.)	No. of trees required to be removed	Compensatory plantation required (No. of trees)
1	Jamia Millia Islamia (Central University), New Delhi-110025.	1.618 (Approx)	66	660
		Total	66	660

The exemption is subject to fulfillment of the following conditions:

a) The applicant shall make an advance deposit of an amount of Rs. 21,25,200 /- (Rupees Twenty One Lakh Twenty Five Thousand Two Hundred Only) for creation and maintenance of compensatory plantation for a period of 5 (five) years as follows :

Project No.	No. of Saplings to be Planted (No. of trees)	Total Amount including other Administrative expenses and contingency charges (in Rs.)	To be Deposited with Forest Division
I	660	21,25,200 /-	DCF (South)/Tree Officer

(b) The compensatory plantation will be raised and maintained for 5 (five) years i.e. The compensatory plantation site identified near construction site where 330 trees saplings of indigenous species are proposed to be planted by the Forests Department, remaining compensatory plantation of 600 saplings will be done by applicant at Jamia Millia Islamia (Central University) and to monitor it till its successful establishment.

(c) The wood obtained on removal of trees shall be handed over by the Jamia Millia Islamia (Central University) to the officials concerned of MCD for its use on public crematoria in Delhi in consultation with the territorial DCF.

(d) Before shifting of wood from site of removal of trees, transportation permission for transportation of the said wood shall be obtained from Tree Officer (South)

By order and in the Name of the

Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

SANJIV KUMAR, Secy.

गृह (पुलिस–2) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 7 जुलाई, 2014

सं. फा. 2/1/1988/गृह पुलिस–2/खण्ड/5060.—चूंकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल इस बात से संतुष्ट हैं कि ऐसा करना आवश्यक है :

इसलिये, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 की धारा 2 के खण्ड (ई) के साथ पठित धारा 3 की उप–धारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल यह निर्देश देते हैं कि दिल्ली पुलिस आयुक्त भी 19–07–14 से 18–10–14 तक की अवधि के दौरान उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप–धारा (2) की शक्तियों का प्रयोग निरोध प्राधिकारी के रूप में कर सकते हैं ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

आलोक गर्ग, उप–सचिव (गृह)

HOME (POLICE-II) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 7th July, 2014

No. F. 2/1/1988-HP-II/Part/5060.—Whereas the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is satisfied that it is necessary to do so.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 3, read with clause (e) of Section 2 of the National Security Act, 1980, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to direct that during the period 19-7-2014 to 18-10-2014 the Commissioner of Police, Delhi

may also exercise the powers of detaining authority under sub-section (2) of the Section 3 of the aforesaid Act.

By Order and in the name of the Lieutenant Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

ALOK, GARG, Dy. Secy. (Home)

शहरी विकास विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 7 जुलाई, 2014

फा. सं. जीए/1160/1/प्रशासन/2013/2546–64.—दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड अधिनियम, 2010 (2010 का दिल्ली अधिनियम 7) की धारा 3 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल पूर्वी दिल्ली नगर निगम के निगम पार्षद (वार्ड–242) श्री सुनील कुमार झा, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के निगम पार्षद (वार्ड–195) श्री चन्द्र प्रकाश एवम् उत्तरी दिल्ली नगर निगम के निगम पार्षद (वार्ड–25) श्री देवेन्द्र सोलंकी को उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप–धारा (4) के खण्ड (iv) के अन्तर्गत दो वर्ष की अवधि तक या संबंधित नगर निगम के सदस्य के रूप में न रहने, जो भी पहले हो, तक के लिये सदस्य के रूप में नामांकित करते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

राजेन्द्र कुमार, सचिव

DEPARTMENT OF URBAN DEVELOPMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 7th July, 2014

F. No. GA/1160/1/Admn/2013/-2546-64.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Delhi Urban Shelter Improvement Board Act, 2010 (Delhi Act 07 of 2010), the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to nominate Shri Sunil Kumar Jha, Municipal Councillor (Ward-242) of East Delhi Municipal Corporation, Shri Chander Prakash, Municipal Councillor (Ward No.195) of South Delhi Municipal Corporation and Shri Devender Solanki, Municipal Councillor (Ward No. 25) of North Delhi Municipal Corporation under clause (iv) of sub section (4) of Section 3 of the said Act, as member in the Delhi Urban Shelter Improvement Board, Delhi for a period of two years or till they cease to be Member of the respective Municipal Corporation, whichever is earlier.

By Order and in the Name of the Lieutenant Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

RAJENDRA KUMAR, Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.